विवरण	अंशी पूंजी ऋण	ऋण	राजसहायता	योग	सुपर बाजार द्वारा किया गया व्यय
1991-92					
अतिरिक्त अंश पूंजी	50.00	—	—	50.00	भंडार की व्यापारिक गतिविधियो के लिए उपयोग में लाई गई ।
एल्फा न्यूमेरिकल मशीन की खरीदारी	—	3.75	1.25	5.00	5,22,620.00
6 नई शाखाएं खोलना	3.25	00.56	1.63	5.44	29,05,000.00
बहु-विभागी भंडार पालम की स्थापना करना	6.75	1.69	1.12	9.56	31,23,919.90
पालम में पहली मंजिल के निर्माण के लिए	—	5.00	1.00	6.00	
	60.00	11.00	5.00	76.00	
1992-93					
10 नई शाखाएं खोलना	9.00	1.00	3.50	13.50	32,27,000.00
20 शाखाओं का नवीकरण करना	3.80	3.70	2.50	10.00	10,08,573.72
5 जेनरेटर सेट लगाना	—	8.00	2.00	10.00	10,16,096.00
सुपुर्दगी वैन की खरीदारी	—	3.30	—	3.30	3,32,233.80
	12.80	16.00	8.00	36.80	
1993-94					
25 शाखाओं का नवीकरण	8.00	2.00	3.20	13.20	—
2 जेनरेटर सेट लगाना	—	4.50	00.80	5.30	—
सुपुर्दगी वैन की खरीदारी	—	1.50	—	1.50	2,74,071.00
	8.00	8.00	4.00	20.00	

सुपर बाजार में स्थानांतरणों संबंधी नीति-नियम

1696. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार के महाप्रबंधक और प्रबंध समिति ने अपने कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में नीति-नियमों के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सुपर बाजार ने अपने कर्मचारियोंको उन शाखाओं मे नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जो उनके निवास स्थलो से तीन से पांच किलोमीटर की दूरी पर हों;

(घ) यदि हां, तो क्या सुपर बाजार ने इस नियम का पालन किया है ,

(ङ) इस समय अपने आवासों से 10 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(च) इस संबंध मे शाखावार और कर्मचारी-वार ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि कर्मचारियों का स्थानान्तरण उनके सेवा एवं आचरण नियमों द्वारा शासित होता है । कर्मचारियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मे या एक विभाग/शाखा से दूसरे विभाग/शाखा में स्थानान्तरण सेवा एवं आचरण नियमों के नियम 19 द्वारा शासित होता है । इसके अलावा, जिन प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है, उनके तहत किसी पद

विशेष पर किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण तथा उसकी तैनाती, कार्य की अपेक्षा तथा पद के लिए पदधारी की उपयुक्तता पर निर्भर करती है ।

(ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि किसी कर्मचारी को स्थानान्तरित और तैनात करते समय वह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि कर्मचारी को कार्य स्थान के लिए लंबी दूरी तक न जाना पड़े तथा यथासंभव उसे उसके निवास-स्थान के नजदीक तैनात किया जाये ताकि वह बेहतर कार्य कर सके । तथापि, दंडात्मक मामलों में इसका अनुपालन नहीं किया जाता है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) और (च) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसी सूचना संकलित नही की है और अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध मे आंकड़ो के एकत्रीकरण और सारणीकरण का कार्य विस्तृत और श्रमसाध्य है तथा उससे प्राप्त होने वाले परिणाम उसके लिए किए जाने वाले प्रयासों के अनुरूप नही होंगे ।

Malpractices in Super Bazar

1697. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, *CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC* DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the number of instances of malpractices having taken place in the purchase of Items/disposal thereof in the Super Bazar;

(b) what are the details thereof and the action taken thereon;

(c) the action taken to revamp and revitalise the Super Bazar and the number of complaints received about overcharging of rates by its branches;

(d) whether it is a fact that some managers and higher officials are involved in these malpractices;

(e) whether there is any proposal to involve Super Bazar as private institution in all its branch stores; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (d) Super Bazar has reported that three instances of malpractices have come to their notice in the last 3 years, the details of which are as follows:—

(i) In a case of purchase of a Grocery item in excess of requirements, a Senior Storekeeper of a RDC was imposed the major penalty of demotion in rank.

(ii) In the Footwear Department a Manager was held responsible for purchasing footwear from a supplier which was not approved by the Purchase Committee and was imposed the major penalty of demotion in rank.

(iii) In the Handloom Department an Officiating Manager was charged with purchasing inferior quality dusters. He, however, expired before the finalisation of enquiry.

Super Bazar has reported that close surveillance and monitoring is being done to check and detect erring employees, Stringent punitive action is taken against employees violating laid down norms/guidelines to ensure that such instances do not recur. 4 complaints of overcharging have been received by the Super Bazar during the period January, 1994 to 10th December, 1994.

(e) There is no such proposal.

(f) The Super Bazar is a Registered Cooperative Society and is governed by the Delhi Cooperative Societies Act, Rules and Registered Bye-laws. Under the Cooperative Societies Act, there is no provision to convert the Super Bazar into a private institution.

Pay Commission for Employees of Super Bazar

1698. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the employees of the Super Bazar have demanded revision of the DA and the Pay Scale:

(b) if so, whether Government propose to constitute a Pay Commission for the employees working in Super Bazar on the lines of Pay Commission set up for Central Government employees from time to time so that the disputes pertaining to increase in DA and Pay Scales be resolved;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) The Super Bazar has reported that their employees have demanded revision of their pay scales.

(b) to (d) Super Bazar is a cooperative society registered under the Delhi Cooperative Societies Act, 1972 and is governed by a Management Committee constituted as per its Registered Bye-laws. Super Bazar has framed independent Rules and Regulations and the question of Wage Structure, salary etc. for its employees are controlled and decided by the Management Committee.